



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253440  
CG-DL-E-28032024-253440

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]  
No. 1498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 1579(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-खंड (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

लघु शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इस आदेश को एग्री टेक्सटाइल्स गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

एग्री टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(2) यह आदेश 1 जुलाई, 2024 से लागू होगा ”

[फा. सं. 6/1/2021-आर एंड डी (भाग 5)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 27 सितंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4248 (अ) के तहत प्रकाशित हुआ था।

## MINISTRY OF TEXTILES

### ORDER

New Delhi, the 28th March, 2024

**S.O. 1579(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary to do so in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- 1. Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Agro Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024.  
(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 2.** In the Agro Textiles (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-  
“(2) *This order shall come into force on the 1<sup>st</sup> July 2024.*”

[F. No. 6/1/2021-R&D (Pt.5)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

**Note:** *The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 4248(E) dated 27<sup>th</sup> September, 2023.*